THE NDDB
(ADMINISTRATION OF FUNDS, ACCOUNTS AND BUDGET) REGULATIONS

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939	
No. 279]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939	

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2017

सं. दिल्ली : राडेवि बोर्ड.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 में अंतर्निहित शक्तियों तथा इसके पक्ष में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**

   (1) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2017 कहा जाएगा।

   (2) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए, यह प्रावधान भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) विनियमन, 1988 में संशोधन**

   (1) विनियमन 26 के उप-विनियमन (1) में, शब्द "बही" को शब्दों "संपत्ति का मूल्य" के पहले जोड़ा जाए।

   (2) विनियमन 27 के उप-विनियमन (1) में, दो बार लिखे गए शब्दों "दस हजार" के स्थान पर शब्दों "एक लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा लिखे गए शब्दों "पचास हजार" के स्थान पर शब्दों "तीन लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

   (3) विनियमन 27 के उप-विनियमन (3) में, शब्दों "दस हजार" के स्थान पर शब्दों "एक लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दिलीप रथ, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./145/17]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 28 April, 2017

The NDDB (Administration of Fund, Accounts & Budget) (Amendment) Regulations, 2017

No. DEL: NDDB.–In exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement :**

   (1) These Regulations may be called the NDDB (Administration of Fund, Accounts & Budget) (Amendment) Regulations, 2017.

   (2) Save as otherwise provided in these Regulations, the provisions thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. **Amendments to the NDDB (Administration of Fund, Accounts & Budget) Regulations, 1988.**

   (1) In sub-regulation (1) of Regulation 26, the word "book" may be added before the words "value of the property".

   (2) In sub-regulation (1) of Regulation 27, for the words "ten thousand" appearing twice the words "one lakh" shall be substituted and for the words appearing "fifty thousand" the words "three lakh" shall be substituted.

   (3) In sub-regulation (3) of Regulation 27, for the words "ten thousand" the words "one lakh" shall be substituted.

DILIP RATH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./145/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2009/आश्विन 1, 1931
No. 180] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2009/ASVINA 1, 1931

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2009

सं. दिल्ली : राडेविबोर्ड-02/09.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसके पक्ष में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :

(1) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2009 कहा जाएगा ।

(2) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए, ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2008 से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) विनियमन, 1988 में संशोधन :

विनियमन 11 में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाए :

"बशर्ते कि दुग्ध अधिप्राप्ति उपकरणों के लिए परिसम्पत्तियों के क्रय तथा उन्हें सहकारिताओं, सबसीडियरी कम्पनियों, नई पीढ़ी सहकारिताओं (उत्पादक कम्पनियों) को लीज़ पर देने के मामले में, अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये के मूल्य तक की ऐसी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत व्यय की संस्तुति के लिए सक्षम होगा ।"

दीपक टिक्कू, प्रबंध निदेशक
[विज्ञापन III/4/132/09/असा.]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2009

The National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) (Amendment) Regulations, 2009

No. DEL : NDDB-02/09.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following amendment, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) (Amendment) Regulations, 2009.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions shall come into force with effect from 1st April, 2008.

2. Amendment to the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) Regulations, 1988 :

In Regulation 11, the Following proviso may be added :

"Provided that in the case of purchase of assets for milk procurement equipment and leasing them to cooperatives, subsidiary companies, new generation cooperatives (producer companies) as per the approved guidelines, the Board shall be competent to sanction capital expenditure for creation of such assets upto a value of Rs. 100 crores in any financial year."

DEEPAK TIKKU, Managing Director
[ADVT III/4//132/09-Exty.]

3482 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2007/भाद्र 14, 1929
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2007/BHADRA 14, 1929

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2007

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2007

सं. दिल्ली : राडेवि बोर्ड.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 में अंतर्निहित शक्तियों तथा इसके पक्ष में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ

(1) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2007 कहा जाएगा ।

(2) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए, प्रावधान सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) विनियमन, 1988 में संशोधन

(1) विनियमन 11 में "रु. 20 करोड़" शब्दों और आँकड़ों के स्थान पर "रु. 40 करोड़" शब्दों और आँकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

दीपक टिक्कू, प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/IV/112/07/असा.]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2007

The National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) (Amendment) Regulations, 2007

No. DEL : NDDB.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following amendments, namely :—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) (Amendment) Regulations, 2007.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Amendments to the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) Regulations, 1988.

(1) In regulation 11, for the words and figures "Rs. 20 crores", the words and figures "Rs. 40 crores" shall be substituted.

DEEPAK TIKKU, Managing Director

[ADVT. III/IV/112/07/Exty.]

3694 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2003/माघ 30, 1924
No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2003/MAGHA 30, 1924

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2003

सं. दिल्ली : राडेविबोर्ड.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम,1987 (1987 का 37) की धारा 48 में अंतर्निहित शक्तियों तथा इसके पक्ष में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ.**—(1) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) (संशोधन) विनियमन, 2003 कहा जाएगा।

(2) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए, प्रावधान सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे एवं बजट का संचालन) विनियमन, 1988 में संशोधन**

(1) "31 मार्च,———— को समाप्त तुलन पत्र" से सम्बन्धित अनुसूची-I में कोष्ठक में "(रुपये लाखों में)" दिखाए गए मूल्य को "(रुपये मिलियन्स में)" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) "31 मार्च,———— को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा विवरण" से सम्बन्धित अनुसूची-II में कोष्ठक में "(रुपये लाखों में)" दिखाए गए मूल्य को "(रुपये मिलियन्स में)" प्रतिस्थापित किया जाता है।

दीपक टिक्कू, प्रबन्ध निदेशक
[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/132/02]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2003

THE NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD (ADMINISTRATION OF FUND, ACCOUNTS AND BUDGET) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2003

No. DEL:NDDB.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following amendments, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) (Amendment) Regulations, 2003.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions, thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. **Amendments to the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) Regulations, 1988**

(1) In Schedule-I relating to the form "Balance Sheet as on March 31st, ————", for the value shown in parentheses as "(Rs. in lakhs)", the words "(Rs. in millions)" may be substituted.

(2) In Schedule-II, relating to the form "Income and Expenditure Account for the year ended March 31st, ————" for the value shown in parentheses as "(Rs. in lakhs)", the words "(Rs. in millions)" may be substituted.

DEEPAK TIKKU, Managing Director
[No. ADVT-3/4/Extraordinary/132/02]

464 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART III—Section 4
भाग III—खण्ड 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 1988/ज्येष्ठ 24, 1910
No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 1988/JYAISTHA 24, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 1988

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 1988

एस.ई.सी.ए.पी. : 46 एस.पी.एफ :-- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे इस ओर से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों से अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, उक्त अधिनियम की धारा 40 के अनुसार निदेशक मंडल के कार्यों को निष्पादित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (संशोधन) विनियमन, 1988 के नाम से जाना जायेगा ।

(2) इन विनियमनों में अन्यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, इसके उपबंध भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखा तथा बजट का संचालन) विनियमन, 1988 में संशोधन ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखा तथा बजट का संचालन) विनियमन, 1988 में--

(1) विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) में खंड (ञ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
"(ञ) "प्रबंध निदेशक", से अभिप्राय रा.डे.वि. बोर्ड के उस अधिकारी से है जो उसके प्रबंध निदेशक से पदनामित पद को धारण किये हुए है,"

(2) विनियमन 7 में, उप-विनियमन (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपविनियमन को शामिल किया जायेगा, अर्थात् :--

"(5) उप-विनियमन (1) से (4) में समाविष्ट कोई बात उसके अंतर्गत वित्तदान के तरीके को बोर्ड के अपने स्वनिर्णय से निश्चित करने के उसके अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो कि अनुदान या सहायता के रूप में हो या ऋण के रूप में हो (ब्याज सहित या अन्यथा) ।"

3. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) विनियमन, 1988 में संशोधन ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (कार्य संचालन) विनियमन, 1988 में--

(1) विनियमन 2 उप विनियमन (1) खंड (च) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"(च) "प्रबंध निदेशक", से अभिप्राय रा.डे.वि. बोर्ड के उस अधिकारी से है जो उसके प्रबंध निदेशक से पदनामित पद को धारण किये हुये है,"

4. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) विनियमन, 1988 में संशोधन।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) विनियमन, 1988 में--

(1) विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) में खंड (1) के लिये निम्नलिखित खंड आयेगा, तथा हमेशा प्रतिस्थापित माना जायेगा, अर्थात् :--

"(1) "प्रबंध निदेशक", से अभिप्राय रा.डे.वि. बोर्ड के उस अधिकारी से है जो उसके प्रबंध निदेशक से पदनामित पद को धारण किये हुए है,"

(2) विनियमन 4 के उप विनियमन (1) में, परंतुक में, शब्द "प्रबंध निदेशक" के लिये, शब्द "प्रबंध निदेशक या उच्च ग्रेड में कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी" आयेगा, तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित माना जायेगा ।

(3) विनियमन 19 में, उप विनियमन (4) में निम्नलिखित परंतुक आयेगा तथा उसे हमेशा अंत में शामिल किया गया माना जायेगा, अर्थात्--

"बशर्ते कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड का गठन न होने तक की अवधि के लिए अध्यक्ष का आदेश अंतिम होगा ।"

5. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार (नियुक्ति वेतन तथा भत्ते) विनियमन, 1988 में संशोधन ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) विनियमन, 1988 में---

(1) विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) में,--

(क) खंड (1) के लिए निम्नलिखित खंड आयेगा तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित माना जायेगा, अर्थात् --

"(1) "प्रबंध निदेशक", से अभिप्राय रा.डे. वि. बोर्ड के उस अधिकारी से है जो उसके प्रबंध निदेशक से पदनामित पद को धारण किये है,"

(ख) खंड (प) के लिए निम्नलिखित खंड आयेगा, तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित माना जायेगा, अर्थात् --

"(प) "सहायक एकक" से अभिप्राय एक सहायक या एक एकक से है जो रा. डे. वि. बोर्ड के स्वामित्व में है, चाहे उसके द्वारा संचालित है या नहीं, तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्,--

1. मदर डेरी, दिल्ली
2. इंडियन डेरी मशीनरी कम्पनी,
3. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स,"

(2) विनियमन 19 में उप-विनियमन (4) में, निम्नलिखित परंतुक आयेगा तथा उसे हमेशा अंत में शामिल किया गया माना जायेगा अर्थात्---

"बशर्ते कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड का गठन न होने तक की अवधि के लिए अध्यक्ष का आदेश अंतिम होगा"।

6. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियमन, 1988 में संशोधन--

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियमन, 1988 में--

(1) विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) में खंड (1) के लिए निम्नलिखित खंड आयेगा तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित किया गया माना जायेगा, अर्थात् :--

"(1) "प्रबंध निदेशक" से अभिप्राय रा.डे.वि. बोर्ड के उस अधिकारी से है जो उसके प्रबंध निदेशक से पदनामित पद को धारण किए हुए हैं",

(2) विनियमन 5 के लिए निम्नलिखित विनियमन आयेगा तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित किया गया माना जायेगा, अर्थात् :--

"5. गोपनीयता बनाये रखने का दायित्व :

(1) प्रत्येक अधिकारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य होगा तथा अपने कार्य के दौरान तथा इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी में आई किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगा क्योंकि इससे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा उलझन पैदा हो सकती है तथा यह प्रतिबंध प्रत्येक अधिकारी के सेवा निवृत होने पर या अन्यथा किसी भी कारण से उसकी सेवा समाप्त होने के पश्चात् भी उस पर लागू होता रहेगा ।

(2) उप-विनियमन (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक अधिकारी (चाहे वह सेवा में हो या नहीं) अपने द्वारा की गई निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा का सख्ती से अनुपालन करने के बाध्य होगा।"

(3) विनियमन 6 के उप-विनियमन (1) में शब्दों "अधिकारी द्वारा कार्य का निष्पादन समाप्त करने के पश्चात् भी या रा.डे. वि. बोर्ड का अधिकारी न होने पर भी" के स्थान पर "अधिकारी द्वारा कार्य का निष्पादन समाप्त करने के पश्चात् भी या रा. डे. वि. बोर्ड का अधिकारी न होने पर भी, चाहे उसने विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) के अंतर्गत घोषणा की है या नहीं, अथवा चाहे उसने इस उप-विनियमन के अंतर्गत घोषणा की है या नहीं" शब्द आयेंगे, तथा उन्हें हमेशा प्रतिस्थापित किया गया माना जायेगा ।

(4) विनियमन 44 में, उप-विनियमन (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियमन आयेगा, तथा उसे हमेशा इसमें शामिल समझा जायेगा, अर्थात् :--

"(6) इस विनियमन में किसी बात के समाविष्ट होते हुए भी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड का गठन न होने तक की अवधि के लिए अध्यक्ष का आदेश अंतिम होगा।"

(5) विनियमन 50 के उप-विनियमन (8) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उप-विनियमन (6)" के लिए शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उप-विनियमन (7)" आयेगा, तथा उन्हें हमेशा के लिए प्रतिस्थापित किया गया माना जायेगा ।

7. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार (आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियमन, 1988 में संशोधन ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार (आचरण अनुशासन तथा अपील) विनियमन, 1988 में--

(1) विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) में,

(क) खंड (1) के लिए, निम्नलिखित खंड आयेगा तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :--
"(1) "प्रबंध निदेशक", से अभिप्राय रा.डे.वि. बोर्ड के उस अधिकारी से है जो उसके प्रबंध निदेशक से पदनामित पद को धारण किये हुये है",

(ख) खंड (प) के लिए, निम्नलिखित खंड आयेगा तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित किया गया माना जायेगा, अर्थात् :—

(प) "सहायक एकक' से अभिप्राय एक सहायक या एक एकक से है जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के स्वामित्व में है, चाहे वह इसके द्वारा प्रबंधित हो या न हो, तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात् —

1. मदर डेरी, दिल्ली
2. इंदियन डेरी मशीनरी कम्पनी
3. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स

(2) विनियमन 5 के लिए निम्नलिखित विनियमन आयेगा तथा उसे हमेशा प्रतिस्थापित किया या माना जायेगा, अर्थात् :—

"5. गोपनीयता बनाये रखने का दायित्व :

(1) प्रत्येक कामगार गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य होगा तथा अपने कार्य के दौरान तथा इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी में आई किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगा क्योंकि इससे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा उलझन पैदा हो सकती है तथा यह प्रतिबंध प्रत्येक कामगार के सेवानिवृत होने पर या अन्यथा किसी भी कारण से उसकी सेवा समाप्त होने के पश्चात् भी उस पर लागू होता रहेगा।

(2) उप-विनियमन (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक कामगार (चाहे वह सेवा में हो या नहीं) अपने द्वारा की गई निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा का सख्ती से अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।"

(3) विनियमन 6 के उप-विनियमन (1) में शब्दों "कामगार द्वारा कार्य का निष्पादन समाप्त करने के पश्चात् भी या रा.डे.वि. बोर्ड का अधिकारी न होने पर भी" के स्थान पर "कामगार द्वारा कार्य का निष्पादन समाप्त करने के पश्चात् भी या रा.डे.वि. बोर्ड का कामगार न होने पर भी, चाहे उसने विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) के अंतर्गत घोषणा की है या नहीं, अथवा चाहे उसने इस उप-विनियमन के अंतर्गत घोषणा की है या नहीं" शब्द आयेंगे, तथा उन्हें हमेशा प्रतिस्थापित किया गया माना जायेगा।

(4) विनियमन 43 में, उप-विनियमन (5) के पश्चात् निम्नलिखित आयेगा, तथा इसे हमेशा शामिल माना जायेगा, अर्थात् :—

"(6) इस विनियमन में किसी बात के समाविष्ट होते हुए भी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड का गठन न होने तक की अवधि के लिए अध्यक्ष का आदेश अंतिम होगा।"

(5) विनियमन 46 में उप-विनियमन (3) में, "तथा इस प्रकार सूचित अधिकारी" शब्दों को "तथा इस प्रकार सूचित कामगार" माना जायेगा, तथा इन्हें हमेशा के लिये प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा।

(6) विनियमन 49 के उप-विनियमन (8) में शब्दों, कोष्ठक तथा अंक "उप-विनियमन (6)", को शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उप-विनियमन (7)", माना जायेगा, तथा इन्हें हमेशा प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा।

वी. कुरियन, अध्यक्ष

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 1988

THE NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD (AMENDMENT) REGULATIONS, 1988

SEC : AP: 46 :SPL.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), and of all other powers enabling him in that behalf, the Chairman of the National Dairy Development Board, performing the functions of the Board of directors in accordance with section 40 of the said Act, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Amendment) Regulations, 1988.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Amendments to the National Dairy Development Board (Administration of Funds, Accounts and Budget) Regulations, 1988.

In the National Dairy Development Board (Administration of Funds, Accounts and Budget) Regulations, 1988,—

(1) In sub-regulation (1) of regulation 2, for clause (j), the following clause shall be substituted, namely :—

"(j) "Managing Director", means an officer of the NDDB holding a post designated as Managing Director thereof;"

(2) In regulation 7, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(5) Nothing contained in sub-regulations (1) to (4), shall be deemed to affect the right of the Board to determine, at its discretion, the method of financing thereunder which may be by way of grant or assistance or by way of loan (interest bearing or otherwise)".

3. Amendments to the National Dairy Development Board (Transaction of Business) Regulations, 1988.

In the National Dairy Development Board (Transaction of Business) Regulations, 1988,—

(1) In sub-regulation (1) of regulation 2, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) "Managing Director", means an officer of the NDDB holding a post designated as Managing Director thereof;"

4. Amendments to the National Dairy Development Board Officers (Appointment, Pay and Allowances) Regulations, 1988.

In the National Dairy Development Board Officers (Appointment, Pay and Allowances) Regulations, 1988,—

(1) in sub-regulation (1) of regulation 3, for clause (1), the following clause shall be and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

"(1) "Managing Director", means an officer of the NDDB holding a post designated as Managing Director thereof;"

(2) in sub-regulation (1) of regulation 4, in the proviso, for the words "Managing Director", the words "Managing Director or any other senior officer in the higher grade" shall be, and shall be deemed always to have been, substituted.

(3) in regulation 19, in sub-regulation (4), the following proviso shall be, and shall be deemed always to have been inserted at the end, namely,—

"Provided that for the period for which the Board has not been constituted in accordance with section 8 of the Act, the orders of the Chairman shall be final."

5. Amendments to the National Dairy Development Board Workmen (Appointment, Pay and Allowances) Regulations, 1988.

In the National Dairy Development Board Workmen (Appointment, Pay and Allowances) Regulations, 1988—

(1) in sub-regulation (1) of regulation 3,—

(a) for caluse (1), the following clause shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely,—

"(1) "Managing Director", means an officer of the NDDB holding a post designated as Managing Director thereof;"

(b) for clause (u), the following clause shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely,—

"(u) "subsidiary Unit", means a subsidiary or a Unit owned by NDDB, whether managed by it or not, and includes the following, namely,—

1. Mother Dairy, Delhi;
2. Indian Dairy Machinery Company;
3. Indian Immunologicals;"

(3) in regulation 19, in sub-regulation (4), the following proviso shall be, and shall be deemed always to have been inserted at the end, namely,—

"Provided that for the period for which the Board has not been constituted in accordance with section 8 of the Act, the orders of the Chairman shall be final."

6. Amendments to the National Dairy Development Board Officers (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1988,—

In the National Dairy Development Board Officers (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1988—

(1) in sub-regulation (1) of regulation 3, for clause (1), the following clause shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

"(1) "Managing Director", means an Officer of the NDDB holding a post designated as Managing Director thereof;"

(2) for regulation 5, the following regulation shall be and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

"5. Obligation to maintain secrecy

(1) Every officer shall be bound to maintain secrecy and shall not divulge any information coming to his knowledge in the course of his duties or outside it, as would adversely affect or embarrass the National Dairy Development Board in any manner, and this restriction shall continue to apply to every officer even after his ceasing to be in service by retirement or otherwise for whatsoever reason.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), every officer (whether in service or not) shall also be bound strictly to comply with the declaration of fidelity and secrecy made by him."

(3) in sub-regulation (1) of regulation 6, for the words "even after the officer has ceased to perform the assignment or ceased to be an officer of the NDDB", the words "even after the officer has ceased to perform the assignment or ceased to be an officer of the NDDB, whether he has made a declaration under sub-regulation (2) of regulation 5 or not, and whether he has given an undertaking under this sub-regulation or not" shall be, and shall be deemed always to have been substituted.

(4) in regulation 44, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be, and shall be deemed always to have been, inserted, namely :—

"(6) Notwithstanding anything contained in this regulation, for the period for which the Board has not been constituted in accordance with section 8 of the Act, the orders made by the chairman shall be final."

(5) in sub-regulation (8) of regulation 50, for the words, brackets and figure "Sub-regulation (6)" the words, brackets and figure "sub-regulation (7)" shall be, and shall be deemed always to have been substituted.

7. Amendments to the National Dairy Development Board Workmen (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1988.

In the National Dairy Development Board Workman (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1988

(1) in sub-regulation (1) of regulation 3,

(a) for clause (1), the following clause shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

"(1) "Managing Director", means an officer of the NDDB holding a post designated as Managing Director thereof;"

(b) for clause (u) the following clause shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

"(u) "subsidiary Unit", means a subsidiary or a Unit owned by NDDB, whether managed by it or not, and includes the following, namely :—

1. Mother Dairy, Delhi;
2. Indian Dairy Machinery Company;
3. Indian Immunologicals;"

(2) for regulation 5, the following regulation shall be and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

"5. Obligation to maintain secrecy :

(1) Every workman shall be bound to maintain secrecy and shall not divulge any information coming to his knowledge in the course of his duties or outside it, as would adversely affect or embarrass the National Dairy Development Board in any manner, and this restriction shall continue to apply to every workman even after his ceasing to be in service by retirement or otherwise for whatsoever reason.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), every workman (whether in service or not) shall also be bound strictly to comply with the declaration of fidelity and secrecy made by him."

(3) in sub-regulation (1) of regulation 6, for the words "even after the workman has ceased to perform the assignment or ceased to be a workman of the NDDB", the words "even after the workman has ceased to perform the assignment or ceased to be a workman of the NDDB, whether he has made a declaration under sub-regulation (2) of regulation 5 or not, and whether he has given an undertaking under this sub-regulation or not", shall be, and shall be deemed always to have been substituted.

(4) in regulation 43, after sub-regulation (5), the following shall be and shall be deemed always to have been inserted, namely :—

"(6) Notwithstanding anything contained in this regulation, for the period for which the Board has not been constituted in accordance with section 8 of the Act, the orders made by the Chairman shall be final."

(5) in regulation 46, in sub-regulation (3), for the words "and the officer so intimated" the words "and the workmen so intimated", shall be, and shall be deemed always to have been substituted.

(6) in sub-regulation (8), of regulation 49, for the words, brackets and figure "sub-regulation (6)", the words, brackets and figure "sub-regulation (7)", shall be and shall be deemed always to have been substituted.

V. KURIEN, Chairman
National Dairy Development Board

1561 GI/88

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEWDELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 1988/वैशाख 16, 1910
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 1988/VAISAKHA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

New Delhi, the 6th May, 1988

ERRATA

NDDB (ADMINISTRATION OF FUNDS, ACCOUNTS AND BUDGET) REGULATION, 1988

1. Section 2(1)(a)—after the approve project there should be "comma" instead of "full stop".

2. Section 3(2) in the fourth line it should be "the fund so committed" instead of "fund so committed".

3. Clause 9—title should be "Investment in other activity instead of "Investments in other activity".

4. Clause 15.2—it should be "shall and not "hall" as printed.

NDDB (TRANSACTION OF BUSINESS) REGULATION, 1988

1. Clause 2(e) should become 2(d) and 2(d) to become 2(e).

2. In clause 4 in the sixth line the line should read as under :— "NDDB shall disclose the nature of his (not this) concerns".

3. In the proviso of the same clausethe spelling of "Singnly" be corrected.

4. Clause 9—Sub-Clause (b) should come before Clause (c).

5. In clause 13(4) the last four lines have mixed up and therefore it should be corrected in the following manner :—

"........it necessary to hold a meeting of the committee urgently, the period shall stand revised to 5 days and notice need be given only to the members who are in India then."

6. In sub-clause (6) of Clause 13—second line instead of "in" it should be "of".

V. KUREIN, Chairman,
National Dairy Development Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 29, 1988/फाल्गुन 10, 1909

No. 9] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 29, 1988/PHALGUNA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1988

अधिसूचना

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि लेखे एवं बजट का संचालन) विनियमन, 1988

सं. डी.ई.एल. : एन डी डी बी : स्पेशल : राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 48 में अंतर्निहित शक्तियों तथा इसके पक्ष में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष इस अधिनियम की धारा 40 के अनुरूप निदेशक मंडल का कार्य संपादित करते हुए निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं अर्थात् :—

अध्याय–1

भूमिका

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(1) ये विनियमन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे और बजट का संचालन) विनियमन, 1988 के नाम से जाने जायेंगे ।

(2) ये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' अर्थात् राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) से तात्पर्य है ।

(ख) "अनुमोदित परियोजनाएं' अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं ।

(ग) 'बोर्ड' अर्थात् धारा 8 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक मंडल।

(घ) 'अध्यक्ष' अर्थात् राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो इसके पूर्णकालिक कार्यपालक हैं।

(ङ) 'सामान्य निधि' अर्थात् धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवंटित राडेविबोर्ड निधि।

(च) 'वित्तीय संस्थान' अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अनुसार कुछ समय के लिए परिभाषित ।

(छ) 'वित्तीय वर्ष' अर्थात् 12 महीने का कैलेण्डर मास जो 1 अप्रैल या बोर्ड द्वारा निश्चित किए गए किसी अन्य दिन से आरंभ होगा।

(ज) 'साधारण निधि' अर्थात् सामान्य निधि का एक भाग जो किसी परियोजना हेतु किसी आबंटित निधि से संबद्ध नहीं है।

(झ) 'लेखा प्रमुख' अर्थात् इस हेतु अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी।

(ञ) 'प्रबन्ध निदेशक' अर्थात् वह अधिकारी जिसे राडेविबोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ट) 'प्रबन्धित एकक' अर्थात् राडेविबोर्ड द्वारा प्रबंधित कोई एकक जो इसके स्वामित्व में नहीं है।

(ठ) 'राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड' या राडेविबोर्ड अर्थात् धारा 4 के अंतर्गत गठित निगमित निकाय।

(ड) 'अन्य परियोजना' अर्थात् बोर्ड द्वारा समुचित रूप से स्वीकृत परियोजना जो गैर अनुमोदित है।

(ढ) 'परियोजना' में अनुमोदित परियोजना, अन्य परियोजना, प्रबन्धित एकक और पूरक एकक सम्मिलित हैं।

(ण) 'परियोजना निधि' अर्थात् अर्जित प्राप्त या संचयित निधि जो विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए एकत्र की गई है।

(त) 'धारा' अर्थात् अधिनियम की धारा।

(थ) "परिशिष्ट' अर्थात् इन विनियमनों का परिशिष्ठ।

(द) 'भारतीय स्टेट बैंक' में भारतीय स्टेट बैंक के सभी सहायक बैंक सम्मिलित हैं।

(ध) 'पूरक कंपनियां' अर्थात् राडेविबोर्ड की वह सहायक कंपनी जिसे कंपनी जिसे अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

(न) 'पूरक एकक' अर्थात् राडेविबोर्ड द्वारा स्वमित्व व प्रबन्धित पूरक एकक।

(2) सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग किया गया है विनियमन में परिभाषित नहीं है मगर अधिनियम में परिभाषित हैं उनका अर्थ अधिनियम के अंतर्गत संदर्भ से लिया जाएगा।

अध्याय II

राडेविबोर्ड निधियों का संचालन

3. सामान्य निधि, परियोजना निधि और साधारण निधि:

(1) सामान्य निधि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की वह निधि होगी जिसे उस धारा (1) की धारा 26 के अंतर्गत अनुरक्षित किया गया है और इस निधि के अंतर्गत जमा की गई सभी राशियां भारतीय स्टेट बैंक या अध्यक्ष द्वारा नामित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या सबमें अथवा किसी में जमा की जाएंगी।

(2) विभिन्न परियोजनाओं के लिए किसी भी तरह से अर्जित, प्राप्त या संचयित निधि परियोजना कार्यों के लिए पृथक रूप से रखी जाएगी और यह निधि परियोजना निधि के रूप में संघटित होकर इसी नाम से संदर्भित होगी।

(3) सामान्य निधि उपरोक्त उप-विनियमन (2) में बताए गए परियियोजना निधि को छोड़कर साधारण निधि के रूप में संघटित होगी और इसी नाम से संदर्भित होगी।

4. बैंक लेखों का संचालन

(1) विनियमन 3 में इंगित निधि की राशि बैंक के लेखों (जैसे चालू, बचत, जमा इत्यादि) में रखे जायेगे जिसका निर्देश समय-समय पर अध्यक्ष देंगे।

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नाम पर अध्यक्ष अथवा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वानुमामोदन के बिना न तो कोई लेखे खोले जायेंगे और न ही किसी लेखे को बन्द किया जा सकता है।

(3) उप विनियमन (1) से (2) के उपबंधों का अर्थ आवश्यक परिवर्तनों के साथ-साथ सभी प्रबंधित एकक या पूरक एकक जहां प्रबंध समिति है, संबंधित उपबन्धों का अर्थ उसी प्रकार लिया जाएगा जैसी अध्यक्ष की अभिव्यक्ति होगी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अभिव्यक्ति प्रतिष्ठापित की गई है।

5. उधार शक्ति

(1) राडेविबोर्ड के प्रयोजनों के लिए या इसके पक्ष में तथा जहां कहीं भी आवश्यकता हो राडेविबोर्ड की प्रतिभूति जमा के ऊपर किसी बैंक से उधार लेने के सक्षम अधिकारी लेखा प्रमुख होंगे जो अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य या विशेष प्रधिकृति पर कार्य करेंगे।

(2) लेखा प्रमुख की अनुपस्थिति में उनकी शक्तियों का प्रयोग, उप-विनियमन (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रत्याधिकृत कोई अन्य व्यक्ति करेगा।

6. अनुमोदित परियोजनाओं के वित्तपोषण

(1) बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वित्त (जो कि दानकर्ता अभिकरण के समझौते के अनुरूप

होगा) बोर्ड द्वारा अलग कर सामान्य निधि से अलग रखा जा सकता है और इस प्रकार से अलग किए गए प्रत्येक राशि को संबंधित परियोजना के लिए पृथक लेखे में रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक अनुमोदित परियोजना की निधि जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, पृथक रूप से रखा जाएगा।

7. प्रबंधित एकक, अन्य परियोजना और पूरक एककों के वित्त-पोषण

(1) प्रबंधित एकक, अन्य एकक और पूरक एकक के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता सामान्य निधि से बाहर आएगी और लेखा प्रमुख द्वारा एक या अधिक चरणों में निकाली जाएगी।

(2) प्रत्येक प्रबंधित एकक, अन्य परियोजनाओं और पूरक एककों के लिए निकाली गई राशि संबंधित प्रबंध समिति के नियंत्रण में रहेगी तथा समिति जिस प्रकार उचित समझे ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार व्यय कर सकती है। प्रबंध समिति सभी साधनों का पूरा लाभ उठाएगी।

(3) प्रबंध समिति बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक व्यय करने के लिए सक्षम नहीं होगी।

(4) प्रबंध समिति अगर यह पाती है कि अनुमोदित राशि से अधिक व्यय करने की आवश्यकता है तो वह अतिरिक्त व्यय करने से पूर्व अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

8. परियोजनाओं की वित्तीय सहायता

(1) अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निधि जारी करने और व्यय करने के लिए (संचालन पूंजी के साथ) जो किसी परियोजना या किसी प्रकार संबंधित अथवा परियोजना निधि या साधारण निधि से अनुषांगिक हो सकता है, जिस प्रकार उचित समझें, जारी करने का सक्षम अधिकारी है।

(2) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता नगद या किस्म में दिया जा सकता है और जहां यह किस्म में दिया जाए उसका मूल्य निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(3) उप विनियमन (2) में संदर्भित वित्तीय सहायता, ऋण या अनुदान अथवा आंशिक रूप से ऋण और आंशिक रूप से अनुदान या सहकारिताओं अथवा कम्पनियों के शेयर पूंजी में सहभागिता से या राडेविबोर्ड से संबंधित किसी संस्थान से ऐसे नियम व शर्तों पर अग्रिम रकम प्राप्त कर जिसका निर्धारण अध्यक्ष जैसा उचित समझें करेंगे जो बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन होगा।

9. अन्य कार्यकलापों में निवेश

(1) राडेविबोर्ड के पास उपलब्ध राशि जिसे विनियमन 6, 7 और 12के अन्तर्गत किसी प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं किया गया है, बोर्ड किसी प्रयोजन के लिए जिस प्रकार उचित समझे व्यय कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के अंतर्गत राशि के उपयोग में किसी पूरक कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी, जो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से गठित की गई है, का (शेयर पूंजी में योगदान देकर, ऋण अनुदान या अग्रिम के माध्यम से) वित्त प्रबन्ध भी सम्मिलित है।

10. सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि में निवेश

(1) राडेविबोर्ड की ऐसी निधियां जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों या वित्तीय संस्थान, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनियों या सरकारी निगमों में अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार निवेश किया जा सकता है।

(2) उप-विनियम (1) अन्तर्निहित कोई बात, राडेविबोर्ड की ऐसी निधियों, जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, को भारतीय स्टेट बैंक या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा पर निवेश करने की अध्यक्ष की शक्ति के प्रतिकूल नहीं मानी जाएगी।

(3) इस विनियमन के अन्तर्गत निदेश करने के लिए बोर्ड समय-समय पर निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगा।

11. पूंजी व्यय

केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना बोर्ड किसी वित्तीय वर्ष में राडेविबोर्ड द्वारा सम्पत्ति अर्जित करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक स्वीकृत करने को सक्षम होगा।

12. सामान्य प्रशासन के लिए निधि

सामान्य प्रशासन के लिए आवश्यक राशि बजट प्राक्कलन में सम्मिलित की जाएगी और यह साधारण निधि से ली जाएगी तथा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय की जाएगी। यदि सामान्य प्रशासन के लिए आबंटित सारी निधि सीमा से बढ़ जाती है या बढ़ने की संभावना है तब अध्यक्ष मामले को बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट करेंगे।

13. निधियों का प्रबंधन व विविधता

(1) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन लेखा प्रमुख जो प्रबंध निदेशक के अधीन कार्य करेगा, सामान्य निधि के प्रबंधन व इससे संबंधित आय-व्यय लेखे का उत्तरदायी होगा।

(2) सामान्य निधि का वह भाग जो निष्पक्ष है, अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की अनुमति से राडेविबोर्ड के किसी उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए अन्य दिशा में लगाया जा सकता है।

14. अन्य निधियों का सृजन

संस्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड इन विनियमनों में बताए गए निधियों के अतिरिक्त निधि, जैसे आरक्षित निधि, अनुसंधान और विकास निधि, कल्याण निधि या जहां ऐसी निधियां गठित की गई हैं, बोर्ड की अनुमति से राशि, सामान्य निधि से या अन्य निधि से उक्त निधि में अन्तरण करने के सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होंगे।

15. वार्षिक बजट प्राक्कलन

(1) राडेविबोर्ड के संपूर्ण कार्यकलापों को प्रतिबिंबित कराते हुए अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए एक विस्तृत बजट प्राक्कलन बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) बजट प्राक्कलन ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष इस हेतु तैनात करेगा और बजट तैयार करने के स्वरूप एवं तरीकों पर अध्यक्ष आवश्यक निर्देश भी देगा।

(3) प्रत्येक अनुमोदित परियोजनाएं प्रबंधित एकक, पूरक एकक और अन्य परियोजनाओं का बजट प्राक्कलन, संबंधित प्रबंध समिति के यथा अनुमोदन के बाद बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) विनियमन (1) से (3) में बताया गया वार्षिक बजट प्राक्कलन अध्यक्ष द्वारा बताये गये प्रपत्र में तैयार किया जाएगा।

(5) विचाराधीन वार्षिक बजट प्राक्कलन के दौरान अध्यक्ष ऐसा व्यय करने के लिए प्रत्याधिकृत कर सकता है जिसे बजट में सम्मिलित किया जाना है या पहले से ही सम्मिलित है और जो उसके विचार में विलंबित नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि मामला बोर्ड के समक्ष अभिपुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जायगा।

(6) किसी अनुमोदित परियोजना, प्रबंधित एकक, पूरक एकक और अन्य परियोजनाओं के संबंध में उप-विनियमन (5) में बताए गए व्यय का भार उठाने के लिए संबंधित समिति के अध्यक्ष शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें राडेविबोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त हो और इसे अगली बोर्ड की बैठक में रिपोर्ट किया जाए।

(7) किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जिसे अध्यक्ष द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं या प्रबंध समिति द्वारा बजट में सम्मिलित किसी मद के लिए तब तक स्वीकृति नहीं होगी जब तक कि बोर्ड निधि का आवंटन उस मद के लिए नहीं करती।

16. विनियोग बजट अनुमोदन के अंतर्गत सीमित

जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से न प्राधिकृत जाँय इन विनियमनों में 'अन्य व्यवस्था' के अलावा सभी विनियोग अनुमोदित बजट के अन्तर्गत बताए गए मद व्यय तक सीमित रहेंगे।

17. बजट प्राक्कलन के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की शक्ति

(1) सामान्यता, राडेविबोर्ड के बजट के मामले में, बजट प्राक्कलन के अंतर्गत अध्यक्ष निधियों के विनियोग और पुनर्विनियोग करने के लिए सक्षम होंगे, बशर्ते कि यह निधि बजट प्राक्कलन में दी गई पूर्णसीमा से अधिक न हो।

(2) उप-विनियम (1) के उपबंध, प्रबंध समिति की अनुमोदित परियोजना, प्रबंधित एकक, पूरक एकक या अन्य परियोजनाओं और उसके अध्यक्ष पर समान रूप से उस सीमा तक लागू होंगे जो समिति के अनुमोदित बजट प्राक्कलन के अन्तर्गत ग्राह्य हैं।

(3) उप-विनियमन (1) और (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध समिति या इसके अध्यक्ष, बोर्ड की अनुमति के बिना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित पहले की राशि के अतिरिक्त कोई राशि किसी विशेष कार्यकलाप के लिए स्वीकृत नहीं करेगा।

(4) यदि बोर्ड या प्रबंध समिति यथा स्थिति, द्वारा आबंटित राशि सीमा, से बढ़ जाती है तो पहले वाले के संबंध में बोर्ड को तथा बाद वाले के संबंध में प्रबंध समिति को इसकी तत्काल सूचना देनी होगी जो इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

18. वित्त और लेखों का नियंत्रण

(1) राडेविबोर्ड के वित्त का (अनुमोदित परियोजना, प्रबंधित एकक और अन्य परियोजनाओं और पूरक को छोड़कर जहां प्रबंध समितियां हैं) एवं इससे संबंधित लेखों का उत्तरदायित्व लेखा प्रमुख के ऊपर होगा, जो प्रबंध निदेशक के नियंत्रणाधीन रहेगा तथा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करेगा। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के माध्यम से विनियमन के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के सक्षम होंगे।

(2) प्रबंधित एककों और पूरक एककों के लेखों का अनुरक्षण संबंधित एकक के प्रभारी अधिकारी करेंगे और इस मामले में संबंधित प्रबंध समिति के अध्यक्ष समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करेंगे।

(3) उप-विनियमन (1) और (2) में किसी बात के अन्तर्निहित होते हुए भी/अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक सक्षम होंगे कि ऐसा निर्देश दे सके कि लेखा प्रमुख के प्रमुख किसी निर्धारित अनुमोदित परियोजना या अन्य परियोजना के वित्तीय सहायता के उत्तरदायी होंगे और उस परियोजना के वित्त और लेखों का उत्तरदायित्व लेखा प्रमुख पर होगा।

19. राडेविबोर्ड लेखों का अनुरक्षण

(1) समय-समय पर जारी अध्यक्ष के साधारण या विशेष निर्देशों के अनुसार लेखा प्रमुख सभी प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा-जोखा अनुरक्षित करेंगे।

(2) साधारण निधि, परियोजना निधि या अन्य किसी निधि के लिए उपविनियमन (1) के अनुसार पृथक लेखे रखें जाएंगे।

20. लेखा व आंतरिक लेखा परीक्षा

(1) लेखे की बहियां राडेविबोर्ड के मुख्यालय में या बोर्ड जहां आवश्यक समझे वहां रखी जाएगी।

(2) लेखों का समुचित अनुरक्षण और वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए उपयुक्त लेखा प्रणाली और रूपात्मकता

विकसित करने तथा राडेविबोर्ड के कार्यालयों व पूरक एककों, प्रबंधित एककों, अनुमोदित परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने के सक्षम प्राधिकारी लेखा प्रमुख होंगे।

(3) राडेविबोर्ड के आकार व संचालन स्वभाव को देखते हुए जिसमें पूरक एकक, प्रबंधित एकक, अनुमोदित परियोजनाएं एवं अन्य परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, अध्यक्ष बोर्ड की अनुमति से आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

21. वार्षिक लेखे

(1) वार्षिक लेखे को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने का ढंग एवं तरीका परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार होगा।

(2) तुलन पत्र और आय-व्यय लेखे के साथ किसी अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो तो, इंगित करने के सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होंगे।

2. साधारण निधि का उपयोग

राडेविबोर्ड के पास उपलब्ध धन राशि जिसे विनियमन 6 और 7 के अन्तर्गत आबंटित नहीं किया गया है, बोर्ड आवश्यकतानुसार जिस कार्य के लिये वह उचित समझे उनका उपयोग कर सकती है।

23. राडेविबोर्ड के लेखे, प्राप्तियां और वित्तीय अभिलेख किसके द्वारा हस्ताक्षर किय जायेंगे।

राडविबोर्ड के लेखे, अभिलेख और प्राप्तियों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किय जायेंगे जिन्हें समय-समय पर अध्यक्ष संबंधित शक्तियां प्रदान करेगा।

24. आपत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राशि

अध्यक्ष या एक प्रबंध निदेशक जो इसके लिये नामित है किसी अधिकारी या अधिकारियों की श्रेणी को बैंक से बाहर, ऐसी राशि रखने के लिये प्रत्याधिकृत कर सकता है जिसकी दैनिक व्यय और आपातकालीन कार्यों के संपादन में आवश्यकता पड़ सकती है।

25. बोर्ड द्वारा नियंत्रण

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस पर प्रदत्त सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा, नियंत्रण और राडेविबोर्ड के मामलों और व्यवसायों के प्रबंध की शक्तियों के प्रयोग में ये विनियमन बोर्ड के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और बोर्ड इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह अध्यक्ष प्रबंध-निदेशक या प्रबंध समिति को, जैसा भी हो, निर्देश दे।

26. अप्रयुक्त संपत्तियों का निपटान

(1) राडेविबोर्ड की किसी भी संपत्ति को जिसकी आवश्यकता संस्थान को अब नहीं है तथा संपत्ति का मूल्य एक लाख से अधिक होने की अवस्था में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से कोई प्रबंध निदेशक संपत्ति के निपटान का आदेश दे सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक मामले में जहां अचल संपत्ति के निपटान की बात है इस प्रयोजन के लिय बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त की गई हो।

(2) उप विनियमन (1) के अनुरूप निपटान किये गये संपत्ति से प्राप्त सभी राशियां सामान्य निधि में जमा कर दी जायेंगी।

(3) संपत्ति निपटान के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट लेखा प्रमुख को पूर्ण विवरण के साथ दी जायेगी ताकि वह संबंधित रिकार्ड में प्रविष्टियां कर सके।

27. बट्टे खाते डालने की शक्ति

(1) दस हजार तक की हानि को, प्रबंध निदेशक बट्टे खाते में डालने के लिये सक्षम होगा और जहां राशि दस हजार से अधिक की हो, मामला बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रत्येक मामले में पचास हजार रु. तक की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) बट्टे खाते के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट पूर्ण विवरण के साथ लेखा प्रमुख को दी जायेगी, ताकि वह संबंधित रिकार्ड में प्रविष्टियां कर सके।

(3) प्रत्येक ऐसे मामले, जहां दस हजार रु. से अधिक बट्टे खाते में डाले गये हैं (अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित मामलों के साथ) उन्हें बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) बट्टे खाते में डालने की बोर्ड की शक्ति तथा संबंधित प्रक्रिया समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी।

28. अध्यक्ष की अवशिष्ट शक्तियां

अधिनियम तथा उपरोक्त विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों में बिना किसी पूर्वाग्रह के जो वित्त, लेखों और संबंधित मामलों का निपटान करती है ताकि राडेविबोर्ड तथा इसके संगठनों का कार्य निष्पादन सुचारू रूप से हो सके, विनियमों की दिशा निर्धारित करने एवं किसी प्रकार की अभिव्यक्ति एवं संशयित मामले पर प्रकाश डालने के सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होंगे।

29. रिआयत की शक्ति

बोर्ड या इसके किसी अन्य संगठन के कार्य निष्पादन में सुविधा या इसकी दक्षता बढ़ाने के लिये अध्यक्ष यदि यह समझता है कि इन विनियमों के किसी उपबन्धों में रियायत लाया जाना आवश्यक है तो वह बोर्ड की अनुमति से आवश्यक स्तर तक रियायत ला सकता है जिसकी उन परिस्थितियों में आवश्यकता है।

30. संचालन उन्मुक्तता एवं नम्यता सुरक्षित

निधियों के संचालन में बोर्ड को वही उन्मुक्तता व लोच प्राप्त रहेगी जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987(1987 का 37) के लागू होने से पहले प्राप्त थी।

31. विनियमों का बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

यह विनियमन बोर्ड की प्रथम बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(विनियमन 21 देखें)

परिशिष्ट 1

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय)

31 मार्च ....को तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

देनदारियां	परिशिष्ट	31.3 को	31.3 को.
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निधि			
आरक्षित ऋण			
अनारक्षित ऋण			
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान			
	कुल		
परिसम्पत्तियां			
नकद एवं बैंक शेष			
सूचियां (इन्वैन्टरी)			
विविध देनदार			
ऋण एवं अग्रिम			
निवेश			
स्थायी परिसम्पत्तियां			
अन्य परिसम्पत्तियां, यदि कोई है			
	कुल		

टिप्पणी : अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित परिशिष्ट देखा जाए

बोर्ड की तरफ से

सनदी लेखाकार   लेखा प्रमुख   प्रबन्ध निदेशक   अध्यक्ष

स्थान/तारीख

परिशिष्ट 2

(विनियमन 21 देखें)

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय)

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(लाख रुपए में)

आय	परिशिष्ट	समाप्त वर्ष 31-3-	समाप्त वर्ष 31-3-
ब्याज			
सेवा प्रभार			
विक्रय व अन्तरण			
भाड़ा			
प्राप्त किराया			
प्राप्त लाभांश			
राजस्व अनुदान			
अन्य आय			
कुल			
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार			
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ			
मदों की लागत			
निर्माण व व्यय			
माल संचालन व्यय			
विपणन व्यय			
प्रशासकीय व्यय			
अनुदान			
परिदान			
खेत व्यय और पशुधन			
अनुसंधान और विकास व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
कम्प्यूटर व्यय			
संपत्ति अनुरक्षण			
लेखा-परीक्षा व्यय			
अन्य व्यय			
विनियोग और प्रावधान			
दान			
ह्रास			
कटौती : व्यय की वसूली			
शुद्ध व्यय			
शेष राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निधि में अंतरित			
कुल			

टिप्पणी : अतिरिक्त विवरण के लिए संबंधित परिशिष्ट देखा जाए

बोर्ड की तरफ से

सनदी लेखाकार लेखा प्रमुख प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष

स्थान/तारीख

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

New Delhi, the 29th February, 1988

NOTIFICATION

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD (ADMINISTRATION OF FUND, ACCOUNTS AND BUDGET) REGULATIONS, 1988

No. DEL : NDDB : Spl. :—In exercise of the powers conferred by section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), and of all other powers enabling him in that behalf, the Chairman of the National Dairy Development Board performing the functions of the Board of directors in accordance with section 40 of the said Act hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Administration of Fund, Accounts and Budget) Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act", means the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987);

(b) "Approved Project", means any Project approved by the Central Government;

(c) "Board", means the Board of directors of the National Dairy Development Board constituted under section 8;

(d) "Chairman", means the Chairman of the National Dairy Development Board being the full time Chief Executive thereof;

(e) "Chief of Accounts", means an officer who may be designated as such by the Chairman;

(f) "Common Fund", means the NDDB fund maintained under sub-section (1) of section 26;

(g) "Financial Institution" shall have the same meaning as it has under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), for the time being in force.

(h) "Financial Year", means the period of twelve calendar months commencing with the 1st day of April or such other date as the Board may decide;

(i) "General Fund", means the Common Fund excluding the Project Fund;

(j) "Managing Director", means an officer of the NDDB appointed as a Managing Director thereof;

(k) "Managed Unit", means an organisation or a project managed by the NDDB but not owned by it;

(l) "National Dairy Development Board" or "NDDB", means the body corporate constituted under section 4;

(m) "Other Project", means any Project duly sanctioned by the Board not being an Approved Project;

(n) "Project" includes an "Approved Project". "Other Project", "Managed Unit" and "subsidiary Unit";

(o) "Project Fund", is the Fund generated, received or accumulated and committed for the implementation of various Projects;

(p) "Section", means the section of the Act;

(q) "Schedule", means the Schedule to these regulations;

(r) "State Bank of India", includes the subsidiaries of the State Bank of India;

(s) "Subsidiary Company", means any subsidiary of the NDDB which has been registered as a Company under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(t) "Subsidiary Unit", means a Unit or a project which is owned by NDDB whether managed by it or not.

(2) All words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

CHAPTER II

ADMINISTRATION OF NDDB FUND

3. Common Fund, Project Fund and General Fund

(1) The Common Fund shall be the National Dairy Development Board Fund, maintained under sub-section (1) of section 26 and be referred to as such, and all sums of money to the credit of that Fund shall be deposited with the State Bank of India or any nationalised bank designated for the purpose by the Chairman or in all or any of them.

(2) The fund generated, received or accumulated for the implementation of various projects in whatsover manner shall be kept separate as funds committed to projects and fund so committed shall constitute the Project Fund and be referred to as such.

(3) The Common Fund excluding the Project Fund referred to in sub-regulation (2), shall constitute the General Fund and be referred to as such.

4. Operation of Bank Accounts

(1) The amounts to the credit of the Funds specified in regulation 3 shall be kept in Banks in such type of accounts (such as current, savings, deposits, etc.) as the Chairman may, from time to time, direct.

(2) No account shall be opened in the name of the National Dairy Development Board without the previous approval of the Chairman or an officer

authorised by him in this behalf and no such account shall be closed without the written authority of the Chairman or a Managing Director.

(3) The provisions of sub-regulations (1) and (2) shall mutatis mutandis apply in relation to every Managed Unit or subsidiary Unit, and where there is a Management Committee in respect thereof, the provisions shall be read as if for the expression "Chairman", the expression "Chairman of the Management Committee", had been substituted.

5. Power to Borrow

(1) The Chief of Accounts shall, with the general or special authorisation of the Chairman or a Managing Director, be competent to borrow for the purposes of the NDDB and on its behalf, and whereever required, on the security of the deposits of the NDDB with any bank.

(2) The powers of the Chief of Accounts under sub-regulation (1) may, during his absence, be exercised by any officer authorised in that behalf by the Chairman.

6. Finance for Approved Projects

(1) The finance required for Approved Projects duly sanctioned by the Board (having regard to the agreements with the donor agencies) may be set apart by the Board from out of the Common Fund, and every amount so set apart shall be kept in a separate account earmarked for the concerned Project Fund.

(2) Fund for each Approved Project shall be separately accounted for unless and until the Board otherwise directs.

7. Finance for Managed Units, Other Projects and subsidiary Units

(1) The finance required for Managed Units, other Projects and subsidiary Units as approved by the Board shall come out of the Common Fund and be released, in one or more stages, by the Chief of Accounts.

(2) The amount released to each of the Managed Units, other Projects and subsidiary Units shall be under the control of the respective Management Committees and utilised in such manner and for such purposes as the Committee may deem fit, and the Management Committee, shall utilise the resources to the maximum advantage.

(3) The Management Committee shall not be competent to incur any expenditure in excess of the amount approved by the Board.

(4) Where the Management Committee finds that it becomes necessary to incur expenditure in excess of the amount approved, it shall obtain the previous approval of the Chairman before making further expenditure.

8. Financial Assistance to Projects

(1) The Chairman or any officer authorised by him in that behalf shall be competent to release funds and to incur expenditure (including contribution for working capital) for any Project or for anything connected therewith or incidental thereto either from the Project Fund or General Fund on such terms and in such manner as he may deem fit.

(2) The financial assistance for Projects may be given in cash or kind and where it is given in kind the value thereof shall be determined by the Chairman.

(3) The financial assistance referred to in sub-regulation (2) may be either by way of loan or grant or partly by way of loan and partly by way of grant or by participation in share capital of Co-operative Institutions or Companies or by advancing monies to any institutions connected with NDDB on such terms and conditions and in such manner as the Chairman may deem fit subject to any direction that may be given by the Board.

9. Investments in other activities

(1) The amounts available with the NDDB and not allocated for any purposes under regulations 6, 7 and 12, may be used in such manner and for such purposes as the Board may deem fit.

(2) The utilization of amounts under sub-regulation (1) may include the financing (by way of contribution to share capital, loans, grants or advances) of any subsidiary Company or any other company formed with the previous approval of the Central Government.

10. Investment in Government Securities, etc.

(1) The funds of the NDDB that are not immediately required, may be invested by it in Government securities or with financial institutions, Unit Trust of India, Government Companies or Government Corporations, as the Chairman may, from time to time, direct.

(2) Nothing contained in sub-regulation (1) shall be deemed to affect the powers of the Chairman to invest any amount of the NDDB, not immediately required, with the State Bank of India or any nationalised bank.

(3) With regard to making of investment under this regulation it shall be competent for the Board to issue guidelines from time to time.

11. Capital Expenditure

The Board shall be competent to sanction, without the previous approval of the Central Government, capital expenditure for the creation of assets by NDDB upto the value of Rs. 20 crores in any financial year.

12. Funds for General Administration

All amounts necessary for the general administration of the NDDB shall be included in the budget estimates and shall come out of the General Fund and be spent in accordance with such direction as the Chairman may, from time to time, give, and where the overall amount allocated for general administration is exceeded or likely to be exceeded the Chairman shall report the matter to the Board.

13. Management and Diversion of Funds

(1) Subject to such general or specific directions that the Chairman may, from time to time, give, the Chief of Accounts, functioning under a Managing Director, shall be responsible for the management of the Common Fund and the income and expenditure relating thereto.

(2) That part of the Common Fund which is uncommitted, can be diverted by the Chairman with the approval of the Board, for furthering any of the objectives of the NDDB.

14. Creation of other Funds

The Board may, having regard to the need of the institution, constitute such funds, other than those specified in these regulations, such as Reserve Fund, Research and Development Fund, Welfare Fund, and where any such fund has been constituted, it shall be competent for the Chairman, with the approval of the Board, to transfer the requisite amounts either from the General Fund or from any other fund to the said fund.

15. Annual Budget Estimates

(1) A detailed budget estimate reflecting, as far as may be, the overall activity of the NDDB for the ensuing financial year, shall be placed before the Board for its approval.

(2) The budget estimates shall be prepared by such officer as the Chairman may designate in this behalf and the Chairman may give such directions as may be necessary regarding the scope of and the manner in which the budget is to be prepared.

(3) The budget estimate of each Approved Project, Managed Unit, subsidiary Unit and other Project, duly approved by the concerned Management Committee, shall be placed before the Board for its approval.

(4) The annual budget estimates referred to in sub-regulations (1) to (3) shall be prepared in such form as the Chairman may specify.

(5) Pending approval of the annual budget estimates, the Chairman may authorise the incurring of any expenditure included or to be included in the budget estimates which, in his opinion, should not be delayed, subject to the matter being placed before the Board for ratification.

(6) In relation to any Approved Project, Managed Unit, subsidiary Unit or other Project, the power to approve the incurring of expenditure referred to in sub-regulation (5), may be exercised by the Chairman of the respective Management Committee, subject to the approval of the Chairman of NDDB, and the same shall be reported to the Board at the next meeting.

(7) No sanction regarding an item included in the budget accorded by an officer or authority to whom the powers have been delegated by the Chairman or by any Management Committee shall have effect until the funds have been allocated and approved by the Board for that item.

16. Appropriations to be restricted to Budget Approvals

Save as otherwise provided in these regulations, all appropriations shall be limited to the items of expenditure approved in the budget, unless otherwise expressly authorised by the Board.

17. Power of re-appropriation within Budget Estimates

(1) It shall be competent for the Chairman in relation to the budget of the NDDB generally, to permit appropriation and re-appropriation of funds provided in the budget estimate, subject to the limitation that the overall funds provided in the budget estimate shall not be exceeded.

(2) The provisions of sub-regulation (1) shall apply with equal force to the Management Committees in relation to an Approved Project, Managed Unit, subsidiary Unit, or other Project, and to the Chairman thereof, to the extent of the approved budget estimate applicable to the Committee.

(3) In exercise the powers under sub-regulations (1) and (2), the Management Committee or the Chairman thereof shall not, without the concurrence of the Board, sanction any expenditure in excess of the amounts earmarked by the Board for any particular activity.

(4) In case the amount allocated by the Board or the Management Committee, as the case may be, is exceeded, the matter shall forthwith be reported to the Board in the former case, and to the Management Committee in the latter case which in turn shall submit it to the Board.

18. Control of Finance and Accounts

(1) The responsibility for the finance of NDDB (excluding Approved Project, Managed Unit, other Project or subsidiary Unit in respect of which there is a Management Committee) and of the maintenance of accounts relating thereto shall be with the Chief of Accounts who shall function under the control of a Managing Director, subject to such special direction as the Chairman may from time to time give, and it shall be competent for the Chairman to exercise the powers under these regulations through the Managing Director.

(2) The accounts in respect of Managed Units and subsidiary Units shall be maintained by the officer-in-charge of the concerned Unit and the Chairman of the concerned Management Committee may give such direction as he may deem fit from time to time.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) and (2), it shall be competent for the Chairman or a Managing Director to direct that the Chief of Accounts shall be responsible for the finance of any specified approved Project or other project whereupon, the responsibility for the finance and accounts of that project would be that of Chief of Accounts.

19. Maintenance of Accounts of NDDB

(1) The Chief of Accounts shall maintain accounts of all receipts and expenditure subject to such gene-

ral or special direction that the Chairman may give from time to time.

(2) In relation to the General Fund, Project Fund and any other Fund, seperate accounts shall be maintained under sub-regulation (1).

20. Accounts and Internal Audit

(1) The books of accounts of the NDDB shall be kept in the Head Office and at such other places as the Board may deem fit.

(2) It shall be competent for the Chief of Accounts to evolve and implement suitable accounting methods and modalities in order to enable him to maintain proper accounts and to prepare the annual accounts and to issue directions to the offices of the NDDB and of its subsideary Units, Managed Units, Approved Projects and other Projects.

(3) The Chairman shall, with the approval of the Board, arrange to have an internal audit system commensurate with the size and nature of operations of NDDB including the subsidiary Units, Managed Units, Approved Projects and Other Projects.

21. Annual Accounts

(1) The form and manner of preparation and presentation of the Annual Account shall be in accordance with the respective forms given in Schedules I and II.

(2) It shall be competent to the Chairman to specify additional particulars, if any, to be furnished along with the Balance Sheet or Income and Expenditure Account.

22. Utilisation of General Fund

The amounts available with the NDDB and not allocated under regulations 6 and 7 may be used in such manner and for such purposes as the Board may deem fit.

23. Accounts, receipts and financial documents of NDDB-by whom to be signed.

The accounts, documents and receipts of the NDDB shall be signed by the officers to whom the respective powers may, from time to time, be assigned by the Chairman.

24. Amounts required for meeting exigencies

The Chairman or Managing Director designated by him in this behalf may authorise any officer or category of officers to keep such amounts, as may be necessary, outside the Bank Accounts for meeting the day-to-day expenditure and for meeting any exigency in the discharge of functions.

25. Control by the Board

Nothing in these regulations shall be deemed to affect the right of the Board to exercise powers of general superintendence, direction, control and management of affairs and business of the NDDB conferred on it under sub-section (1) of section 8 of the Act and it shall be competent to the Board to give any direction in pursuance thereof to the Chairman, any Managing Director or to any Management Committee, as the case may be.

26. Disposal of obsolete assets

(1) A Managing Director may direct the disposal of any propeprty of the NDDB which is no longer required for the institution and in any case where the value of the property exceeds rupees one lakh, such direction shall be given only after obtaining the previous concurrence of the Chairman:

Provided that in every case where the disposal of immovable property is involved the previous approval of the Board shall be obtained for the purpose.

(2) All amounts received by disposal of property made in accordance with sub-regulation (1) shall be credited to the Common Fund.

(3) Every case of disposal of assets shall be reported to the Chief of Accounts with relevant particulars so as to enable him to make entries in the relevant records.

27. Power to write-off

(1) A Managing Director or the respective Management Committees as the case may be, shall be competent to write-off the losses to the extent of rupees ten thousand, in each case, and where the proposal for write-off relates to an amount in excess of rupees ten thousand, the same shall be submitted to the Chairman of the Board, who shall be competent to accord approval upto rupees fifty thousand in each case.

(2) Every case of write-off shall be reported to the Chief of Accounts with relevant particulars so as to enable him to make entries in the books of account.

(3) In every case where there has been a write-off exceeding rupees ten thousand (including the cases where the Chairman has accorded sanction), the matter shall be reported to the Board at its next meeting.

(4) The power of the Board to write-off and the procedure to be adopted in that regard, shall be such as may be determined by it from time to time.

28. Residuary powers of Chairman

Without prejudice to the generality of the powers conferred on him under the Act and these regulations re lating to the finances, accounting and allied matters and for the purpose of facilitating the performance of the functions of the NDDB and its organisations, it shall be competent for the Chairman, to give interpretation consistent with the tenor of the regulations or to give elucidations in respect thereof in relation to any case where doubt arises.

29. Power to relax

Where the Chairman is satisfied that any of the provisions contained in these regulations, has to be relaxed for the purpose of facilitating the performance of the functions of the Board or of any of its organisations or to improve their efficiency in any respect, he may with the concurrence of the Board

relax the same to such extent as may be necessary under the circumstances.

30. Freedom and flexibility of operation preserved

The Board shall, in the administration of funds, continue to have the freedom and flexibility of operation that was available to the National Dairy Development Board as it stood before the commencement of National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987).

31. Regulations to be placed before the Board

These regulations shall be placed before the Board at its first meeting.

V. KUREIN, Chairman,
National Dairy Development Board.

Schedule—I

[See regulation 21]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

(A body corporate constituted under the National Dairy Development Board Act, 1987)

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31st,.................

(Rs. in lakhs)

	Annexure	As at 31.03......	Ast at 31.03......
LIABILITIES			
National Dairy Development Board Fund			
Secured loans			
Unsecured loans			
Current liabilities and provisions			
TOTAL			
ASSETS			
Cash and bank balance			
Inventories			
Sundry debtors			
Loans and advances			
Investments			
Fixed assets			
Other assets, if any			
TOTAL			

NOTE : The respective annexures may be referred to for the details.

On behalf of the Board

Chartered Accountants
Place :
Date :

Chief of Accounts Managing Director Chairman

SCHEDULE—II

[See regulation 21]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

(A body corporate constituted under the National Dairy Development Board Act, 1987)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31st,.........

(Rs. in lakhs)

	Annexure	Year ending 31-03-	Year ending 31-03-
INCOME			
Interest			
Service charges			
Sales and transfers			
Hire charges			
Rent received			
Divident received			
Revenue grants			
Other income			
TOTAL			
EXPENDITURE			
Interest and financial charges			
Remuneration and benefits to employees			
Cost of materials			
Manufacturing expenses			
Commodity handling expenses			
Marketing expenses			
Administrative expenses			
Grants			
Subsidies			
Livestock and farm expenses			
Research and development expenses			
Training expenses			
Computer expenses			
Maintenance of assets			
Computer expenses			
Other expenses			
Appropriations and provisions			
Donations			
Depreciation			
Deduct : Expenses recovered			
Net expenditure			
Balance transferred to National Dairy Development Board Fund			
TOTAL			

Note : The respective annexures may be referred to for the details.

On behalf of the Board.

Chartered Accountants — Chief of Accounts — Managing Director — Chairman

Place :

Date :